पृ. क्र. (1)

A-3269/SIC/GWALIOR/2023 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय: द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म०प्र०)एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म०प्र०) 1 आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

उपरोक्त विषयांतर्गत आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील की अभिस्वीकृति का पत्र अपीलार्थी को भेजा जाना है, अतः भेजे जाने वाले पत्र की स्वच्छ प्रतियां अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

15/6/2023

अनुभाग अधिकारी,
जावक

जावक क्रमांक : 4565
दिनांक : 16.6.23

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15/9/2023 नियत की जाती है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, भोपाल

सु०पत्र हस्ताक्षर/
अ०अ०

14/8/2023

जावक क्रमांक : 8907
दिनांक : 17.8.23

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरुण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-3269/Gwalior/2023

आदेश
15 / 09 / 2023

(1) प्रकरण मे नियत सुनवाई दिनांक 15 / 09 / 2023 मे अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी / आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित एवं उनकी ओर से प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा उपयंत्री जल प्रदाय संधारण खण्ड क्रमांक–1 नगर निगम ग्वालियर म0प्र0 समक्ष मे उपस्थित रहें।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20 / 09 / 2022 को लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 03 बिन्दुओ की जानकारी मागी गयी–

1. आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर को स्पीडपोस्ट से प्रेषित पत्र दिनक के 15-07-2022 के तहत शेष लंबित भुगतान लेखा शाखा द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उन समस्त भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही के कायदिश, देयक माप पुस्तिकायें भुगतान नोटशीट दिलवा दीजिएगा आज दिनांक तक 316 देयकों की शेष भुगतान राशि पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी छायाप्रति दिलवाने की व्यवस्था कीजियेगा।

2. कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय शाखा संधारण खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 4256 दिनांक 20/10/2015 के तहत पारित देयकों की राशि 3368136 की सूची के तहत भुगतान नोटशीट कायदिश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संवंधित दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करें।

3. आयुक्त कार्यालय में लेखा शाखा में पदस्थ श्री सुनील मजुमदार ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के तहत दिनांक 02/12/2014 को 42 एमबी तथा 3195 कार्यो उपरांत देयक प्राप्त किये थे। समस्त देयकों तथा एमबी माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। तथा विभाग द्वारा की गयी भुगतान संवंधित कार्यवाही के समस्त भुगतान संवंधित दस्तावेज आज दिनांक तक दिलवाने का कष्ट करें।

(3) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा दिनाक 27 / 04 / 2023 को आयोग मे प्रस्तुत द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वाछित जानकारी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक प्रदाय नहीं की गयी। सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

(4) प्रकरण मे संक्षेप की भूमिका यह है कि आवेदक श्री विमल जैन एक प्राइवेट कांट्रेक्टर थे नगर निगम ग्वालियर मे सबमर्सिबल पंप की रिपेयरिंग का कार्य इनके पास था इसमें उनके द्वारा सन् 2008 तक कार्य किया गया और कार्य के एवज मे

15.9.23
(Rajesh Sharma)
9425709810
Vimal Jain
15-09-202
9039853171

उनके मिलने वाला भुगतान अप्राप्त रहा जिसके संबंध में उन्होंने आरटीआई आवेदन दायर कर जानकारी चाही।

(5) प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20/09/2022 को आरटीआई आवेदन कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री विमल जैन को पत्र क्रमांक 650 दिनांक 28/09/2022 को लेख किया गया कि– "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.09.2022 आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर के कार्यालय से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 30.09.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में आपके द्वारा 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

आवेदन में संलग्न सहपत्रों का अवलोकन किये जाने पर ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा लगभग 20 वर्ष पुरानी जानकारी से संबंधित अभिलेख चाहे गये हैं। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय संधारण खण्ड क्रमांक-1 नगर निगम, ग्वालियर के द्वारा पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के माध्यम से प्रकरण की मूल नस्तियां, बिल एवं माप पुस्तिकायें नगर निगम, ग्वालियर में संचालित आर.ए.डी. शाखा में आर.ए.डी. कराये जाने हेतु प्रेषित की गई हैं।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप आवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 में चाही गई जानकारी से संबंधित अभिलेखों को चिन्हित करना चाहते है तो आप 07 दिवस के अंदर अवगत करायें ताकि चिन्हित किये जाने हेतु तिथि निर्धारित कर आपको सूचित किया जा सकें और अभिलेखों का आकलन होने पर निर्धारित शुल्क जमा कराने की कार्यवाही की जा सकें।" इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 2 के तहत आवेदक द्वारा अवलोकन नहीं चाहा गया था। इसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा निरीक्षण का कथन कर प्रकरण में जानकारी देने में विलंब किया गया वहीं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा 20 वर्ष पुरानी जानकारी का लेख किया गया जबकि अधिनियम में 20 वर्ष से पुरानी जानकारी को देने पर कहीं भी अधिनियम के तहत रोक नहीं हैं। आवेदक द्वारा उक्त पत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उक्त पत्र उन्हें अप्राप्त रहा जिसके चलते उनके द्वारा जानकारी न मिलने पर दिनांक 21/10/2022 को प्रथम अपील दायर की गयी। उक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31/10/2022 के प्राप्त हुई जिसकी सुनवाई करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/11/2022 से लोक सूचना अधिकारी को 07 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया। तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09/11/2022 की अवहेलना करते हुए कोई जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी।

(6) आयोग के समक्ष उपस्थित वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा कथन किया गया कि उनके पास तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या नहीं की गयी है। उसके कोई भी रिकार्ड उनके कार्यालयीन नस्ती में उपलब्ध नहीं है। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा

चाही गयी जानकारी उनके कार्यालय में सरल एवं सुलभ रूप में उपलब्ध थी जोकि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(7) आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 पर पदस्थ तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी को धारा 6(1) के तहत जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करानी थी। वांछित जानकारी बेहद सरल एवं सुलभ रूप में कार्यालय में उपलब्ध थी एवं निर्धारित समयावधि 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध करायी जा सकती थी। श्री संजय सोलंकी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) उल्लंघन एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09/11/2022 की अवहेलना की गयी है। वही अगर श्री संजय सोलंकी जानकारी को रोकना चाहते थे तो नियम अनुरूप उन्हें आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जानकारी रोकने का युक्तियुक्त आधार लिखते हुए आरटीआई आवेदक को सूचित करना चाहिए था। अतः आयोग श्री संजय सोलंकी तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को धारा 20 के तहत राशि रूपये 25,000 के जुर्माने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाए।

(8) अतः आयोग श्री संजय सोलंकी वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे आदेश प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 में चाही गयी वांछित जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 02/11/2023 तक भेजना सुनिश्चित करें।

(9) आयोग प्रकरण में श्री संजय सोलंकी तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 02/11/2023 को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 वी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम क्रमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
15/09/2023

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

प्रतिलिपि, भोपाल /09/2023

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3. श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

पत्र
5/

अनुभाग अधिकारी

27/9/2023

जावक क्रमांक : 10599, 600
दिनांक 27.9.23

A-3269/SIC/GWALIOR/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरुण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20.09.2022 अनुसार जानकारी न मिलना

Vimal Jain
2-11-2023
विमल जैन
9039853171

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-3269/Gwalior/2023

आदेश
02/11/2023

(1) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 02/11/2023 में कारण बताओ सुनवाई सूचना पत्र की की सुनवाई में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित रहे।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 03 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

1. आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर को स्पीडपोस्ट से प्रेषित पत्र दिनक के 15-07-2022 के तहत शेष लंबित भुगतान लेखा शाखा द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उन समस्त भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही के कार्यदेश, देयक माप पुस्तिकायें भुगतान नोटशीट दिलवा दीजिएगा आज दिनांक तक 316 देयकों की शेष भुगतान राशि पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी छायाप्रति दिलवाने की व्यवस्था कीजियेगा।

2. **कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय शाखा संधारण खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 4256 दिनांक 20/10/2015 के तहत पारित देयकों की राशि 3368136 की सूची के तहत भुगतान नोटशीट कार्यदेश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करें।**

3. **आयुक्त कार्यालय में लेखा शाखा में पदस्थ श्री सुनील मजुमदार ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के तहत दिनांक 02/12/2014 को 42 एमवी तथा 3195 कार्यो उपरांत देयक प्राप्त किये थे। समस्त देयकों तथा एमवी माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। तथा विभाग द्वारा की गयी भुगतान संबंधित कार्यवाही के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज आज दिनांक तक दिलवाने का कष्ट करें।**

(3) प्रकरण में श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 द्वारा आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 27/10/2023 प्रेषित किया गया। जिसमें लेख है कि–

" उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि द्वितीय अपील क्रमांक A-3269/2023 अपीलार्थी श्री विमल जैन के प्रकरण में दिनाक 15.092023 को माननीय राज्य सूचना आयोग महोदय के द्वारा सुनवाई उपरान्त संदर्भित आदेश पारित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपीलार्थी द्वारा दिनाक 20.09.2022 में चाही गई वांछित जानकारी 05 दिवस के भीतर निशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनाक 02.11.2023 तक भेजना

सुनिश्चित करने एवं कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 02.11.2023 नियत की गई है।

उक्त आदेश के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी श्री विमल जैन को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवेदन दिनाक 20.09.2022 में चाही गई बाधित जानकारी के संबधित अभिलेखों की छाया प्रतिया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1293 दिनांक 27.10.2023 से स्पीड पोस्ट के माध्यम से निशुल्क प्रदाय की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र एवं स्पीड पोस्ट की छाया प्रति अवलोकनार्थ सलग्न है। म. प्र. विधान सभा चुनाव दिनांक 17.11.2023 को होना नियत है। जिसके सबा में कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा चुनाव ट्रेनिंग मत पेटी वितरण, मतपेटी जमा करने, एवं शहर के चार विधान सभा के 1042 मतदान केन्द्रो पर पेयजल व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 1042 मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने एवं उन पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्य संपादित कराया जा रहा है। जिस कारण दिनाक 02 11.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित रहने में असमर्थ है।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष रखने एवं प्रकरण में व्यक्तिगत सुनाई हेतु आगामी तिथी नियत किये जाने हेतु अनुरोध है। "

(4) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी उनको उपलब्ध करायी गयी है वह अपूर्ण एवं भ्रामक है। सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

(5) आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 01 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर को स्पीडपोस्ट से प्रेषित पत्र दिनक के 15-07-2022 के तहत शेष लंबित भुगतान लेखा शाखा द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उन समस्त भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही के कार्यदेश, देयक माप पुस्तिकायें भुगतान नोटशीट दिलवा दीजिएगा आज दिनांक तक 316 देयकों की शेष भुगतान राशि पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी छायाप्रति दिलवाने की व्यवस्था कीजियेगा।

बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर प्रकरण कमांक–डब्ल्यू0पी0 2589/2017 M/s Paras Aquatech Through Properiter Vimal Jain Vs. State of M.P. and another में दिनांक 30/10/2017 को पारित निर्णय के कम में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया गया जिस कारण आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने से अभिलेख की छायाप्रतियां देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

<u>आयोग का मत–</u> उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब समाधानकारक है। बिन्दु कमांक 01 में आवेदक द्वारा एक अन्य जानकारी भी मांगी गयी है। जिससे आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा देयक 01 से लगभग 120, 01 से लगभग 43 एवं 01 से लगभग 153 कार्य का

नाम मोटर पम्प मरम्मत कार्य, स्टार्टर मरम्मत कार्य के एमबी नंबर 759, 222, 549, 264 एवं 309 से संबंधित शेष राशि एवं एमबी नंबर 233, 189, 782, 330, 226, 327 एवं 273 से संबंधित शेष भुगतान राशि की जानकारी मांगी थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के आदेश का लापरवाही पूर्वक निराकरण करते हुए संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। उनके द्वारा प्रेषित जवाब दिनांक 27/10/2023 पत्र कमांक 1293 में 316 देयकों की शेष भुगतान राशि से संबंधित ना ही कोई टीप प्रस्तुत की गयी और ना ही आवेदक को जानकारी दी गयी।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 02 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय शाखा संधारण खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 4256 दिनांक 20/10/2015 के तहत पारित देयकों की राशि 3368136 की सूची के तहत भुगतान नोटशीट कार्यदिश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करें।**

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– **इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सत्यापित छायाप्रतियां पृष्ठ कमांक 01 से लगायत 61 तक संलग्न है।**

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु पर आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कथन किया गया कि आवेदन में कार्यादेश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज भी मांगे गये थे लेकिन उक्त 01 से लगायत 61 पृष्ठों में कार्यादेश देयक माप पुस्तिकाओं की जानकारी शामिल नहीं है। यहां भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए बिन्दु कमांक 02 की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गयी है।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 03 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **आयुक्त कार्यालय में लेखा शाखा में पदस्थ श्री सुनील मजुमदार ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के तहत दिनांक 02/12/2014 को 42 एमबी तथा 3195 कार्यो उपरांत देयक प्राप्त किये थे। समस्त देयकों तथा एमबी माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। तथा विभाग द्वारा की गयी भुगतान संबंधित कार्यवाही के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज आज दिनांक तक दिलवाने का कष्ट करें।**

बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– कार्यपालन यंत्री, जल प्रदाय संधारण खण्ड कमांक 01 के पत्र कमांक 7318 दिनांक 27.11.2014 के तहत प्राप्त किए गए प्रकरणों के संबंध में श्री सुनील मुजुमदार, लेखापाल से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त समस्त प्रकरण/माप पुस्तिकाएं सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्समय ही अग्रेषित की जा चुकी हैं, जो कि आज दिनांक तक सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के द्वारा कार्यवाही उपरांत वापिस नहीं की गई है। अतः उक्त बिन्दु में चाही गई जानकारी से सम्बन्धित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिस कारण आपको प्रदाय किया जाना संभव नहीं हो सका है। पावती की छायाप्रति संलग्न । पृष्ठ क्रमांक 01 लगायत 03

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु पर आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कथन किया गया कि आवेदन में एमबी माप पुस्तिकाएं की छायाप्रति एवं समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज भी मांगे गये थे लेकिन यहां भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए बिन्दु कमांक 03 की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गयी है।

(6) आयोग प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 पर लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री विमल जैन को अपूर्ण जानकारी प्रदाय करायी गयी है एवं आयोग के आदेश दिनांक 15/09/2023 के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। जिस पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है।

(7) अतः आयोग श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे आदेश प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 में चाही गयी 03 बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 04/01/2024 तक भेजना सुनिश्चित करें। अतः आयोग प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हो।

(8) आयोग प्रकरण में श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु एक और मौका देता है एवं उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 04/01/2024 को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम कमांक 02, भोपाल में नियत करता है। अतः आयोग आवेदक श्री विमल जैन को भी आदेशित करता है कि वे आगामी सुनवाई दिनांक 04/01/2024 में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होवे।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
02/11/2023

A-3269/SIC/...

पृ. क्र. 10

A-3269/SIC/GWALIOR/2023

नस्ती क्र.

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0)एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

12317

प्रतिलिपि, भोपाल 28/11/2023

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4. श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

सू0 पत्र ह0 प्रस्तुत

अनुभाग अधिकारी 28/11/2023

जावक क्रमांक : 12317
दिनांक : 28.11.23

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग पृ. क्र. ....

द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0)एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-3269/Gwalior/2023

आदेश
04/01/2024

(1) प्रकरण में नियत कारण बताओ सूचना पत्र की सुनवाई दिनांक 04/01/2024 में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 एवं श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित रहे।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 03 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

1. आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर को स्पीडपोस्ट से प्रेषित पत्र दिनक के 15-07-2022 के तहत शेष लंबित भुगतान लेखा शाखा द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उन समस्त भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही के कायदेश, देयक माप पुस्तिकायें भुगतान नोटशीट दिलवा दीजिएगा आज दिनांक तक 316 देयकों की शेष भुगतान राशि पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी छायाप्रति दिलवाने की व्यवस्था कीजियेगा।

2. कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय शाखा संधारण खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 4256 दिनांक 20/10/2015 के तहत पारित देयकों की राशि 3368136 की सूची के तहत भुगतान नोटशीट कायदेश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करें।

3. आयुक्त कार्यालय में लेखा शाखा में पदस्थ श्री सुनील मजुमदार ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के तहत दिनांक 02/12/2014 को 42 एमबी तथा 3195 कार्यो उपरांत देयक प्राप्त किये थे। समस्त देयकों तथा एमबी माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। तथा विभाग द्वारा की गयी भुगतान संबंधित कार्यवाही के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज आज दिनांक तक दिलवाने का कष्ट करें।

(3) प्रकरण में श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 द्वारा आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 27/10/2023 प्रेषित किया गया। जिसमें लेख है कि–

" उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि द्वितीय अपील क्रमांक A-3269/2023 अपीलार्थी श्री विमल जैन के प्रकरण में दिनाक 02.11.2023 को माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा सुनवाई उपरान्त संदर्भित आदेश पारित कर श्री संजय सोलंकी तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर, जिला-ग्वालियर म.प्र. को आदेश प्राप्ती के 05 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा। आर टी आई आवेदन

12

पृ. क्र.

A-3269/SIC/GWALIOR/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0)एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

Vimal Jain
4-7-2024
9039853171

दिनांक 20. 09.2022 में चाही गई 03 बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डांक से प्रदाय कर पालक प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 04.01.2024 तक भेजना सुनिश्चित करने एवं कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 04.01 .2024 नियत की गई है।

उक्त संदर्भित पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:

1 श्री संजय सोलंकी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय साधारण खण्ड क्रमांक 01 नगर निगम ग्वालियर को पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2023 को अभिरक्षा में लिये जाने से श्री सोलंकी द्वारा संपादित कार्य (विधान सभा क्षेत्र पूर्व / ग्रामीण) की जल प्रदाय का कार्य निर्वहन किये जाने हेतु आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के द्वारा आदेश क्रमांक 1/23/2/10/स.प्र./2023/30862-30872 ग्वालियर दिनांक 08.11.2023 से आदेशित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। अपीलार्थी श्री विमल जैन के द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन दिनांक 2009 2022 में तीन बिन्दुओं में उल्लेखित चाही गई जानकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध होने पर शीघ्र अतिशीघ्र अपीलार्थी श्री विमल जैन को जानकारी / अभिलेख निःशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर दिये जायेगें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सहित माननीय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में उल्लेखित कार्य 20 वर्ष पुराने है एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कार्यभार संभाले लगभग 01 माह का समय हुआ है ऐसी स्थिती में माननीय से नम्र अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में जानकारी देने हेतु समय देने का कष्ट करें। एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु श्री राजेश शर्मा उपयंत्री जल प्रदाय नगर तिय ग्वालियर को अधिकृत कर रहा हूँ।"

(4) आयोग के समक्ष दस्तावेजों के अवलोकन उपरात स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब में यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में उल्लेखित कार्य 20 वर्ष पुराने है एवं प्रार्थी को कार्यभार संभाले लगभग 01 माह का समह हुआ है। आयोग यहां स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा आवेदक से लगातार इस प्रकरण के संबंध में पत्राचार किया जा रहा था। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण विभाग के पूरी तरह से संज्ञान में था तो यह 20 वर्ष पुराना है। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के उक्त कथन को आयोग अस्वीकार करता है। आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी दिनांक 08/11/2023 में कार्यलय में पदस्थ हो गये थे। जबकि उनके पास लगभग 02 माह का पर्याप्त समय था जिसमे वे आवेदक को उपलब्ध करा सकते थे। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध मे बताया गया कि उनकी आज ट्रेन निरस्त होने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उक्त निवेदन को आयोग आंशिक रूप से मान्य करता है।

8/11/2023

(5) प्रकरण में आयोग आयोग द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 02/11/2023 को अधिनियम की धारा 18(3) के तहत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर को आदेशित किया था कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हो, परन्तु वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 18(3) का उल्लंघन करते हुए रिकार्ड की मूल नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः आयोग पुनः प्रकरण में

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओ की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक ***19/01/2024*** मे उपस्थित हो अगर लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नही हो पाते है तो वे किसी अन्य के माध्यम से दस्तावेज प्रेषित करे अथवा जानकारी समय सीमा के अंदर लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध ना कराये जाने पर यह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाता है

(6) आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी द्वारा करोड़ो रूपयों का गबन करने के कारण वे जेल में है। अतः आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल ग्वालियर म0प्र0 को यह भी आदेशित करता है कि वे इस आदेश के साथ संलग्न पूर्व आदेश दिनांक 15/09/2023, दिनांक 02/11/2023 एवं आदेश दिनांक 04/01/2024 की प्रति श्री संजय सोलंकी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को तामीली कराये। प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(7) के तहत संबंधित लोकप्राधिकारी पर आयोग का आदेश बाध्यकारी है।

(7) आयोग प्रकरण मे श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एक और अंतिम मौका देते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक ***19/01/2024*** को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम क्रमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

Rahul

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
04/01/2024

भोपाल /01/2024

प्रतिलिपि,

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0)एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, तरूण पुष्कर के पास, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 20/09/2022 अनुसार जानकारी मिलना

2.श्री ए0पी0एस. भदौरिया,
वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3.लोकप्राधिकारी–,
जेल अधीक्षक,
सेंट्रल जेल ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

5. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

6.श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

जावक क्रमांक : 432
दिनांक : 17.1.24

Vimal Jain
19-01-2024

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-3269/Gwalior/2023

आदेश
19/01/2024

(1) प्रकरण में नियत कारण बताओ सूचना पत्र की सुनवाई दिनांक 19/01/2024 मे अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आयोग द्वारा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत जारी सुनवाई समन दिनांक 19/01/2024 की अवहेलना करते हुए अनुपस्थित रहे और ना ही उनके द्वारा सुनवाई के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 03 बिन्दुओ की जानकारी मांगी गयी–

1. आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर को स्पीडपोस्ट से प्रेषित पत्र दिनक के 15-07-2022 के तहत शेष लंबित भुगतान लेखा शाखा द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उन समस्त भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही के कायदिश, देयक माप पुस्तिकायें भुगतान नोटशीट दिलवा दीजिएगा आज दिनांक तक 316 देयकों की शेष भुगतान राशि पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी छायाप्रति दिलवाने की व्यवस्था कीजियेगा।

2. कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय शाखा संधारण खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 4256 दिनांक 20/10/2015 के तहत पारित देयकों की राशि 3368136 की सूची के तहत भुगतान नोटशीट कायदिश देयक माप पुस्तिकाएं तथा समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करें।

3. आयुक्त कार्यालय में लेखा शाखा में पदस्थ श्री सुनील मजुमदार ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलप्रदाय खण्ड क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 7318 दिनांक 27/11/2014 के तहत दिनांक 02/12/2014 को 42 एमबी तथा 3195 कार्यो उपरांत देयक प्राप्त किये थे। समस्त देयकों तथा एमबी माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। तथा विभाग द्वारा की गयी भुगतान संबंधित कार्यवाही के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज आज दिनांक तक दिलवाने का कष्ट करें।

(3) आयोग के समक्ष दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आयोग द्वारा लगातार इस प्रकरण में जानकारी देने के आदेश दिनांक 15/09/2023, 02/11/2023, 04/01/2024 एवं 19/01/2024 को दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण लापरवाही पूर्वक आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं करायी। यह स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की

धारा 19(7) का उल्लंघन है जिसके तहत आयोग का आदेश संबंधित लोकप्राधिकारी पर आज्ञापज्ञ है। आयोग के आदेश की लगातार अवहेलना से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी की नीयत जानकारी को जानबूझकर रोकने की है।

(4) अतः आयोग पुनः प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 03 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक 05/02/2024 में उपस्थित हो अगर लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते है तो **आयोग यह स्पष्ट करता है कि अगर आगामी सुनवाई दिनांक 05/02/2024 को आयोग के समक्ष प्रकरण में वांछित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग संबंधित दस्तावेज को अपने समक्ष उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 18(3) सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत जमानती वारंट (BAILABLE WARANT) जारी करने की प्रकिया सुनिश्चित करेगा।**

(5) आयोग प्रकरण में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एक और अंतिम मौका देते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक ***05/02/2024*** को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम कमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
19/01/2024

प्रतिलिपि,

भोपाल /01/2024

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2.श्री ए0पी0एस, भदौरिया,
वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3.वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4.लोकप्राधिकारी–,
जेल अधीक्षक,
सेंट्रल जेल ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

6. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

7.श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

शाकमुभो—312—अस्रासूआभो—25-3-21—60,000